<u>न्यायालय :—श्रीमती प्रीति प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर</u>

<u>म0प्र0</u>

प्रकरण क्र.	3011/2023
फाइलिंग नं.	17538/2023
अपराध क्रमांक	179/2023
सी.एन.आर.नं.	एम.पी.0901—22306—2023
संस्थित दिनांक	08.06.2023

आरक्षी केन्द्र संयोगितागंज इंदौर म.प्र.

......................अभियोजन

विरूद्ध

1. प्रकाश पिता शोभाराम गोयल
उम्र 37 वर्ष, पता7 85 श्रीनगर कालोनी देवास म.प्र.
2. सौरभ पिता राजेन्द्र राव, उम्र 22 वर्ष
पता डीएफ—01 प्रथम मंजिल चन्द्रशेखर
आजाद नगर देवास म.प्र.

.... अभियुक्तगण

—: <u>उपार्पण आदेश</u> :—
(आज दिनांक 21.06.2023 को पारित)

1. अभियुक्त/गण के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अभियोग पत्र थाना प्रभारी संयोगितागंज की ओर से पेश किया गया।

2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 11.04.2023 को आरक्षी केन्द्र संयोगितागंज इंदौर पर आवेदिका रीना बेन पटेल द्वारा उपस्थित होकर एक लेखी शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उनकी फर्म राधिका सेल्स एजेन्सी जिसकी प्रोप्राईटर वह स्वयं है फर्म का पता 22 इन्दिरा काम्लेक्स विकास टावर पर स्थित है एवं उनका समरर्सिबल पंप का व्यापार है उनकी फर्म का उन्होंने भोपाल का पी.एच.एफ.डी. डिपार्टमेंट में व्यापर का पंजीयन करवाने के लिए इंदौर निवासी सौरभ उर्फ वैध भटनागर पिता मुकेश भटनागर पता 116/2 वी.एल.

आई.जी. कालोनी प्रेस काम्पलेक्स एवं प्रकाश गोयल निवासी देवास है जिन्हें उन्होंने पंजीयन राशि 25,00,000/—रूपये नगदी अलग—अलग समय में दिये थे जिसमें पहली किश्त जुलाई मह में दी गई एवं उसने उन्हें पंप का पंजीयन सर्टिफिकेट दिया था जो कि गलत है। सौरभ उर्फ वैध भटनागर का मोबाईल नंबर 7509482702 है उनको समय में कार्य पूर्ण होने का आश्वासन दिया था जो कि नहीं हुआ जिसके कारण उन्होंने उससे पंजीयन निरस्त करने का आवेदन भोपाल में दिया गया था एवं उसके द्वारा राशि वापस करने की बात की गई थी जो कि अभी भी पूर्ण नहीं हुई है इस प्रकार सौरभ उर्फ वैध भटनागर एवं प्रकाश गोयल द्व ारा उसको उक्त कंपनी का पंजीयन करवाने का झूठा आश्वासन देकर उससे 25 लाख रूपये नगद ले लिये है और उसकी कंपनी का आज दिनांक तक सही पंजीयन नहीं करवाया है तथा कंपनी का पंजीयन करवाने के नाम पर झूठा आश्वासन देकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। संपूर्ण जांच से प्रथम दृष्टया आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 179/2023 अन्तर्गत धारा— 420, 467, 468, 406, 471 एवं 120—बी भादवि का अपराध घटित करना पाया जाने से अपराध सदर कायम कर अपराध चिववेचना में लिया गया।

3. प्रकरण में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट संपत्ति जप्ती पत्रक, गिरफतारी पत्रक, नक्शा मौका फरियादी व साक्षियों के पुलिस कथन थाना संयोगितागंज द्वारा गिरफ्तारी की सूचना पत्र व मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया दर्शित होता है कि अभियुक्त/गण के विरूद्ध धारा भादवि के तहत अपराध के विचारण हेतु पर्याप्त आधार परिलक्षित होते हैं।

4. आरोपित धारा 467, 468, 471, 120 बी भादवि के आरोप के विचारण का एकमेव क्षेत्राधिकार माननीय सत्र न्यायालय को है, इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर को उपार्पित किया जाता है।

5. आरोपीगण 1. प्रकाश पिता शोभाराम गोयल उम्र 37 वर्ष, पता7 85 श्रीनगर कालोनी देवास म.प्र. 2. सौरभ पिता राजेन्द्र राव, उम्र 22 वर्ष पता डीएफ—01 प्रथम मंजिल चन्द्रशेखर आजाद नगर देवास म.प्र. न्यायिक निरोध में हैं। अतः आरोपीगण को पेशी दिनांक 05.07.2023 को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर के समक्ष उपस्थित रखा जावे।

6. प्रकरण में आरोपीगण के न्यायिक निरोध में रहने के संबंध में धारा 428

दप्रंस का प्रमाण पत्र बनाया जाकर संलग्न किया जावे।

7. अभियुक्तगण को द.प्र.स. की 208 के अंतर्गत संपूर्ण चालान की नक्लें प्रदान की जा चुकी हैं।

8. प्रकरण उर्पापण होने की सूचना मालखाना नाजिर एवं लोक अभियोजक को दी जावे।

9. प्रकरण से संबंधित कोई जप्त शुदा मुद्देमाल हो तो नियत दिनांक 05.07.2023 को 11.00 बजे के पूर्व माननीय सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करें।

10. प्रस्तुत मामला रिमांड पत्रावली में संलग्न कर विधिवत संधारित कर अविलंब आगामी पेशी दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय, इंदौर को प्रेषित किया जावे एवं तदानुसार प्रकरण का परिणाम दर्ज हो।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं मुद्रांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीमती प्रीति प्रसाद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
इंदौर म.प्र.

(श्रीमती प्रीति प्रसाद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
इंदौर म.प्र.

PREETI PRASAD

Digitally signed by PREETI PRASAD
Date: 2023.06.21 12:17:54 +0300